



**नेमी आदेश सं० 09 / 37-जी-11 दिनांक 22.11.2023**

**1. गुप 'सी' एम.टी.एस. वर्ग में नियुक्ति :-**

कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामित अभ्यर्थी जिनका डोजियर भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा जिनका विवरण उनके नाम के सामने दर्शाया गया है को एम0टी0एस0 (नॉन-टेक्निकल) (अस्थायी गुप-सी स्थापना) के पद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग में दिनांक 09.11.2023 से 29.02.2024 तक या ऐसे समय के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, वेतन लेवल -1 (18000-56900) में रू० 18000/- प्रतिमाह तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर देय अन्य स्वीकार्य भत्तों के अनुसार एतद् द्वारा अनंतिम आधार पर (On Provisional Basis) नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि	मूल राज्य	शैक्षिक योग्यता	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राज कुमार, पुत्र श्री रामकृत महतो	10.02.1999	समस्तीपुर (बिहार)	इन्टरमीडिएट	अन्य पिछड़ा वर्ग	09.11.2023 (पूर्वान्ह)

प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या स्था०3-194 / 1011-एमटीएस दिनांक 19.06.2023

- उपरोक्त कार्मिक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया एवं सही पाया गया।
- उपरोक्त कार्मिक का चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन अलग से किया जा रहा है, जाँच में प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- उपरोक्त कार्मिक नये भर्ती नियम 2018 में निहित एवं समय-समय पर संशोधित शर्तों के अधीन शासित होंगे।
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

**2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ :-**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोग शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.05.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन सं० 35043/3/2015 स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस०एम०/02/02/2021 दिनांक 25.08.2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित गुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिविजन-I (डिव०-II से पदोन्नत)) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	श्रीमती ममता तोमर	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01.01.2024
2.	श्री रमनीक सिंह	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01.01.2024
3.	श्री सतपाल सिंह रावत	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01.01.2024

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० सी-4022/1902-एम.ए.सी.पी. (NGDC) दिनांक 14.11.2023

- (i) उपरोक्त कर्मचारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए एफ0आर0 22(I)(A)(1) के अधीन एक माह के भीतर विकल्प देना होगा ।
- (ii) उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा ।

**3. नकदी संभालने का भत्ता :-**

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं० स 14/3/ 78-एस०एम०पी०.1 दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (प-2) दिनांक 01.10.2008 के अनुसार निम्नलिखित लिपिक संवर्ग के कर्मचार को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार खजांची का कार्य करने के लिये नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अवधि		भत्ते की दर प्रतिमाह	टिप्पणी
		कब से	कब तक		
1.	कु० लता, प्रवर श्रेणी लिपिक	17.11.2023 से	19.11.2023	रु० 700/-	नियमित रोकड़िये के अवकाश पर जाने के कारण

6/9/23  
22/11/23

( संदीप श्रीवास्तव )  
निदेशक

राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

**वितरण :-**

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून ।
4. कार्यालय अधीक्षक(लेखा एवं प्रशासन)।/ गार्ड फाईल/ वैबसाइट एडमिन ।
5. गार्ड फाईल ।
6. वेबसाइट एडमिन ।